FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 28)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायपुर (पाली)**

वादी | प्रतिवादी

बनाम

रामसिंह पुत्र जगेसिंह

जगदीश पुत्र भंवरलाल जाति घांची निवासी रायपुर

जाति रावत निवासी दीपावास

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 92/2022 (PGKSA)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
03/08/22	✓ वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। दर्ज रजिस्टर हो। वादी एवं प्रतिवादीगण ने प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 के फॉलोअप कैम्प की भावना से प्रेरित होकर जरीये राजीनामा वादी का वाद डिग्री किया जाने का निवेदन किया। उपस्थित वादी रामसिंह पुत्र जगेसिंह जाति रावत निवासी दीपावास की पहचान अधिवक्ता श्री चन्द्र दीप सिंह भाटी एवं प्रतिवादी जगदीश पुत्र भंवरलाल जाति घांची निवासी रायपुर की पहचान श्री भूपैन्द्र सैन अधिवक्ता ने दी है। राजीनामा तस्दीक कर संलग्न पत्रावली किया गया है। वादी का वाद जरीये राजीनामा डिग्री किया जाना न्यायोचित समझते है। अतः वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाता है– माफिक राजीनामा वादी एवं प्रतिवादी के सरहद बलुपुरा पटवार हल्का दीपावास भू अभिलेख निरीक्षक रायपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 में खसरा नम्बर 485, 489, 496 के सम्बन्ध में खातेदार श्री रतनसिंह पुत्र जगा के स्थान पर श्री रामसिंह पुत्र जगासिंह नाम किया जाना न्यायोचित समझते हैं। अतः उपरोक्तानुसार खातेदार श्री रतनसिंह पुत्र जगा के स्थान पर श्री रामसिंह पुत्र जगासिंह नाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उपरोक्तानुसार दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री पृथक से जारी किया जाता है। पालना हेतु आदेश एवं डिकी पर्चा की प्रति तहसीलदार रायपुर को प्रेषित किया जावें। पक्षकारान् खर्चा अपना–अपना वहन करेंगें। चूंकि उक्त पत्रावली में वादी ने दस्तावेजो की कमीपूर्ति आज दिनांक को की गई। इसीलिए पत्रावली में निर्णय आज दिनांक 03/08/22 को सरे इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो (राजेश मेवाड़ा) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली) (मुहर: सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी * रायपुर (पाली))	

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर.

(पीठासीन अधिकारी फॉलोअप केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.

रामसिंह बनाम जगदीश

दावा बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर :– 92/2022

निर्णय दिनांक :– 03/08/22

वादी स्वयं रामसिंह पुत्र जगेसिंह जाति रावत निवासी दीपावास एवं प्रतिवादी स्वयं जगदीश पुत्र भंवरलाल जाति घांची निवासी रायपुर की उपस्थिति में इस वाद को राजेश मेवाड़ा (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, रायपुर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि माफिक राजीनामा वादी एवं प्रतिवादी के सरहद बलुपुरा पटवार हल्का दीपावास भू अभिलेख निरीक्षक रायपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 में खसरा नम्बर 485, 489, 496 के सम्बन्ध में खातेदार श्री रतनसिंह पुत्र जगा के स्थान पर श्री रामसिंह पुत्र जगासिंह नाम किया जाता हैं।

उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी किया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को प्रेषित किया जावें। पक्षकारान् खर्चा अपना–अपना वहन करेंगें।

यह आज तारीख 03/08/22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
रायपुर (पाली)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	——
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	अर्जी के लिए स्टाम्प	——
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	——	प्लीडर की फीस	——
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस	0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	——
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	——	आदेषिका की तामील	——
6. कमिष्नर की फीस	——	कमिष्नर की फीस	——
7. आदेषिका की तामिल	——		
जोड़	0.	जोड़	

07

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, रायपुर

(पीठासीन अधिकारी कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान :– दीपावास

राजीनामा

रामसिंह बनाम जगदीश सिंह

प्रकरण संख्या 92/2022 अन्तर्गत धारा 88 RT Act

महोदय,

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी रामसिंह S/o जगासिंह अप्रार्थी/प्रतिवादीगण जगदीश आदि S/o संतरलाल का निवेदन है कि उक्त अनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारो के बीच सुलह हो चुकी है एंव अब हमारे बीच कोई विवाद नही रहा है। हम पक्षकारों के सम्बन्ध अच्छें हो चुके हैं।

हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :– ग्राम बलुपुरा के खाता सं. 120,121 मे ख.नं. 485, 489, 496 मे दर्ज रतन सिंह पुत्र जगासिंह जाति-रावत का सही नाम रामसिंह S/o जगासिंह है। जगासिंह के रतनसिंह नाम की कोई संतान नही है। राम सिंह का हो नाम गलती से रतनसिंह दर्ज कर दिया जिसे रतनसिंह S/o जगासिंह के स्थान पर रामसिंह S/o जगासिंह दर्ज करवाने पर सहमति देते है।

अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करावें।

वादी पक्ष	प्रतिवादी पक्ष
1. [signature]	1. जगदीश - आदि
2.	2.
3.	3.
पहचानकर्ता के हस्ताक्षर [signature]	पहचानकर्ता के हस्ताक्षर [signature]
(वादी पक्ष) नाम C. D. Singh Adv.	(प्रतिवादी पक्ष) नाम भूपेन्द्र सैन Adv.

अतः प्रार्थी/वादी रामसिंह एवं अप्रार्थी/प्रतिवादी जगदीश आदि द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। पक्षकारान को राजीनामे की इबारत पढकर सुनाई गई, जिसे पक्षकारान ने सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया व हस्ताक्षर किये। पक्षकारान की पहचान श्री चन्द्र सिंह राठौड़ एवं श्री भूपेन्द्र सैन अधिवक्ता (वादी) (प्रतिवादी) द्वारा की गई। अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिशल रहे।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)